क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम– **Village Health Sanitation and Nutrition Day. (VHSND)**
बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – **Monthly Village Health Sanitation and Nutrition Day.**

बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) **A.1.3.2**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें गाँव के अंतिम व्यक्ति तक उपलब्ध कराने की परिकल्पना हैं। इस हेतु अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित कर गाँव के स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण इत्यादि सेवाओं को सामेकित रुप से उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई गई है। इस आलोक में ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन एक महत्वपुर्ण रणनीति है जहाँ समुदाय के लोग सुरक्षात्मक एवं प्रोत्साहक (Preventive & Promotive) स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को प्राप्त कर सके।इस संदर्भ में भारत सरकार के दो विभागों यथा पेयजल एवं स्वास्च्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिवों का संयुक्त पत्र संख्या–Jt.D.O.No .W11042/7/2007/CRSP/Part dated 21 May 2012 के द्वारा अर्न्तवभागिय समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण तथा स्वच्छता सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबुत करने की बात कही गयी है। इसके लिए प्रमण्डल से लेकर प्रखण्ड स्तर तक अर्न्तविभागीय समन्वय से संबंधित बैठको को आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस :– यह दिवस प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर महीने में एक बार आयोजित किया जायेगा जिसके माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छ पेयजल से संबंधित सेवायें को पंचायती राज की सहभागिता से कार्यान्वित किया जायेगा। इस दिन उपर्युक्त सेवाओं को एक दिन, एक स्थान तथा सामुहिकता के सिद्धान्त पर आयोजित किया जायेगा।

ईकाई राशिः

1. Convergence/review meeting at Division, District and Block level.
   - **Divisional Level: -** @Rs.4000-Bi-annul per District consolidate fund for VHSND Divisional convergence/review meeting under the Chairmanship of Divisional Commissioner.
   - **District Level: -** @ Rs.5000-Qtr per District VHSND Convergence/Review meeting under the chairmanship of District magistrate- **through JSY Administrativ Expenses.**
   - **Block level:-** @ Rs.500/Qtr/Block. VHSND convergence/review meeting with Block officials (Health + ICDS + PHED + PRI) - **through JSY Administrativ Exepnses.**
2. Monotring of VHSND- @ Rs. 100/VHSND (Max. 2 site per day). - **through JSY Administrative Expenses.**
3. Logistic support at VHSND -@ Rs. 100/VHSND/Month.-**through HSC/VHSC untied fund.**
4. IEC Activities one day prior to VHSND- @ Rs. 100/VHSND/Month.- **through VHSC untied fund.**
5. Capacity building of FLHW (Field level health worker- ANM, AWW, ASHA, PRI Member of VHSC). - **Only in Begusarai, Buxar, Kaimur, Katihar, Khagaria, Supaul and Vaishali District.**
   - @ Rs. 200/Participant for 2 days Capacity building program for Snacks and Stationary.

S Kumar

- @ Rs. 2500/ batch to Venue hiring for Capacity building program for FLHW.
- @ Rs 6000/ batch for Resource Person to facilitate 2 days Capacity building program for FLHW.

वित्तीय दिशा–निर्देश

उक्त राशि निम्नांकित कार्यो में खर्च किये जा सकते है:–

- **प्रमण्डलीय अन्तर्विभागिय समन्वय बैठकः–** प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में साल में दो बार अन्तर्विभागिय समन्वय बैठक आयोजित किया जाना है। जिसमें उक्त प्रमंडल के अन्तर्गत प्रमंडल स्तरीय तथा जिले स्तर के संबंधित विभागों (स्वास्थ्य, समाज कल्याण–आई.सी.डी.एस., पंचायतीराज एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन)के पदाधिकारी भाग लेगें। प्रमंडल स्तर से उपनिदेशक , स्वास्थ्य सेवाएं, क्षेत्रिय कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रिय समन्वयक– आशा, क्षेत्रिय अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी तथा संबंधित विभागों के प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी। जिला स्तर से – जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी– आई.सी. डी. एस., डी. पी. आर. ओ., जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, पी. एच. ई. डी. के पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी भाग लेगें। इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, जिलावार अद्यतन प्रगति, कठिनाईयां एवं क्रियान्वयन बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। इस बैठक को साल में 2 बार आयोजित करने हेतु प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई को रूपये 4000 प्रति जिला प्रति बैठक की दर से राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
- **जिला अन्तर्विभागिय समन्वय बैठकः–** जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में त्रैमासिक अन्तर्विभागिय समन्वय/ समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया जाना है जिसके लिए प्रत्येक त्रैमासिक बैठक हेतु 5000 रुपये की अधिकतम राशि निर्धारित है। जो JSY Administrative Expenses (FMR Code:- A1.4.3) Head में उपलब्ध राशि से खर्च किया जायेगा। जिसमें संबंधित विभागों (स्वास्थ्य, समाज कल्याण–आई.सी.डी.एस., पंचायतीराज एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन) के संबंधित जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी भाग लेगें। जिला स्तर से सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी– आई.सी. डी. एस., डी. पी. आर. ओ., जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, पी. एच. ई. डी. के पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला योजना समन्वयक, जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी भाग लेगें। प्रखण्ड स्तर से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखण्ड लेखापाल, स्वास्थ्य प्रशिक्षक भाग लेगें। जिसमें इस कार्यक्रम की रूपरेखा, प्रखण्डवार उपलब्धि, कठिनाईयां एवं क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं समाधान बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक /जिला कार्यक्रम प्रबंधक की यह जवाबदेही होगी कि विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के द्वारा भ्रमण किये गये स्थलों के भ्रमण प्रतिवेदनों को विश्लेषित कर बैठक में प्रस्तुत करेगें
- **प्रखण्ड अन्तर्विभागीय समन्वय बैठकः–** प्रखण्ड स्तर पर भी प्रत्येक त्रैमासिक बैठक आयोजित किया जाना है। जिसमें प्रखण्ड प्रमुख, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पी. एच. ई. डी. के प्रतिनिधि, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखण्ड लेखापाल, स्वास्थ्य प्रशिक्षक के आलावा 2 ए. एन. एम., 2 आंगनबाड़ी सेविका तथा 2 आशा भाग लेगें। जिसमें स्वास्थ्य उपकेन्द्रवार तथा इसके अन्तर्गत आगंनबाड़ी केन्द्रो पर आयोजित की जा रही ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस कार्यक्रम की उपलब्धि, रिर्पोटिंग, मॉनिटरिंग, कठिनाईयां तथा सहभागिता कैसे सुनिश्चित किया जाये ताकि शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल किया जाये। इस त्रैमासिक बैठक को आयोजित करने के लिए रूपये 500/त्रैमास राशि उपलब्ध करायी जा रही है। जो JSY Administrative Expenses (FMR Code:- A1.4.3) Head में उपलब्ध राशि से खर्च किया जायेगा। प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक /प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक की यह जवाबदेही होगी कि पदाधिकारियों के द्वारा भ्रमण किये गये स्थलों के भ्रमण प्रतिवेदनों को विश्लेषित कर बैठक में प्रस्तुत करेगें।

- **ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस का अनुश्रवणः–** इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए ब्लॉक स्तर के संबंधित विभागों के संबंधित पदाधिकारी यथाः– प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी– आयुष, बाल–विकास परियोजना

S Kumar

पदाधिकारी, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक(BCM), प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, पी.एच.ई.डी. के अभियंता इत्यादि के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवसों का स्थल भ्रमण कर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगें। इस पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए POL हेतु प्रति व्यक्ति प्रति VHSND site के भ्रमण हेतु 100 रुपये (अधिकतम दो स्थलों का भ्रमण एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन के लिए मान्य है, साथ ही यह भी विदित हो कि एक VHSND Site को साल में अधिकतम 3 बार ही Moniter किया जायेगा, इसके अनुसार ही राशि उपलब्ध करायी जा रही है।) की दर से उनके द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रेषित Supervisory Reporting Format प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करने के उपरान्त प्रदान किया जायेगा। जो JSY Administrative Expenses (FMR Code:- A1.4.3) Head में उपलब्ध राशि से खर्च किया जायेगा।

- **ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस में समानो की उपलब्धता :–** आंगनबाड़ी केन्द्रो के स्तर पर आयोजित किये जाने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दिन लाभार्थी एवं सेवा प्रदाता के बैठने के लिए कुर्सी, टेबुल, बेंच, दरी, एवं इससे संबंधित अन्य सामाग्री भाड़े पर लेने के लिए प्रति VHSND प्रत्येक माह रूपये 100 की दर से राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए राशि HSC Untied Fund (FMR Code B 2.3) अथवा VHSC Untied fund (FMR Code B2.4) जो पंचायत स्तर पर गठित VHSC के बैंक खाते में उपलब्ध है, का उपयोग किया जा सकता है।
- **ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस का प्रचार–प्रसारः–** आंगनबाड़ी केन्द्र के स्तर पर आयोजित किये जाने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के एक दिन पुर्व सेवा क्षेत्र में सामुदाय को इस दिवस की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता महसुस कि जा रही है कि– यह दिवस कहाँ, कब और इसमें कौन–कौन सी सेवाएं प्रदान की जायेगी। इसलिए आवश्यकता है की ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के एक दिन पुर्व सामुदाय को यह सुचित किया जाये कि यह दिवस कब, कहाँ मनायी जायेगी तथा इसमें कौन–कौन सी सेवाएं प्रदान की जायेगी तथा इसका लाभ कौन–कौन उठा सकते है। ताकि लोगों में इस दिवस की उपयोगिता की जानकारी हो तथा इससे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। इस हेतु VHSND के एक दिन पुर्व ढ़ोल पिटवाकर अथवा माईकिंग करवाकर सेवा क्षेत्र के लोगों को सुचित किया जा सकता है। इस कार्य के लिए रूपये 100 प्रति VHSND की दर से राशि खर्च किये जा सकते हैं। **इसके लिए राशि VHSC Untied fund (FMR Code B2.4) जो पंचायत स्तर पर गठित VHSC के बैंक खाते में उपलब्ध है, का उपयोग किया जा सकता है।**
- **VHSND के कर्मियो का क्षमता निर्माण (Capacity building) हेतु दो दिवसीय कार्यशाला (बेंगुसराय, बक्सर, कैमुर, कटिहार, खगड़िया, सुपौल एवं वैशाली जिलो मे, जहां Average VHSND Session held percentage 92 % से अधिक किया गया):–** ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस से संबंधित कर्मियों यथा–ए. एन. एम., आंगनबाड़ी सेविका, आशा एवं VHSC के पंचायती सदस्य के क्षमता निर्माण की आवश्यकता महसुस कि जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर ए.एन.एम., आँगनबाडी सेविका, आशा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष अथवा पंचायत के चयनित प्रतिनिधी की दो दिवसीय बैठक/कार्यशाला आयोजित करेगें। जो स्वास्थ्य उपकेन्द्र के आधारित होगा एवं एक समूह में अधिकतम 40 से 50 व्यक्तियों के समूह में किया जायेगा। ध्यान रहे की एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के सभी संबंधित कर्मी एक कार्यशाला में शमिल हो, यथाः– यदि एक प्रखण्ड में 10 स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं तथा प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में कुल 10 प्रतिभागी (A.N.M, AWW, ASHA, VHSC- PRI Member) हैं तो इस स्थिति में कुल 100 प्रतिभागी के लिए दो कार्यशाला आयोजित की जायेगी ताकि अधिकतम 50 प्रतिभागी एक कार्यशाला में शमिल हो सके। जिसमें प्रथम दिन इन उपर्युक्त वर्णित व्यक्तियों को ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन बिन्दुओं पर प्रशिक्षित किया जायेगा तथा दूसरे दिन इन व्यक्तियों द्वारा तकनीकी एवं रिर्पोटिंग System पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

यह कार्यशाला प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में की जायेगी, तथा इसमें प्रशिक्षक के रूप में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक के आलावा राज्य स्तर से चयनित एवं प्रशिक्षित Resource Person होगें।

SKumar

- **कार्यशाला में प्रतिभागी के लिए राशि की उपलब्धता:–** इस दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को 100 रूपये प्रतिदिन की दर से दो दिन के लिए रूपये 200 उनके जलपान एवं स्टेशनरी के लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- **कार्यशाला आयोजित करने के लिए राशि की उपलब्धता:–** VHSND कर्मियो की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए प्रत्येक कार्यशाला रूपये 2500 की दर से राशि उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिसे कार्यशाला स्थल एवं आवश्यक सामग्री एवं उपकरण को भाड़े पर लेने के लिए खर्च किया जा सकता हैं।
- **कार्यशाला के लिए राज्य स्तर से जाने वाले Resource Person के लिए राशि की उपलब्धता:–** प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने वाले उक्त दो दिवसीय कार्यशाला में राज्य स्तर से चयनित एवं प्रशिक्षित Resource Person भेजे जायेंगें, जिसके लिए राशि की उपलब्धता करायी जा रही है। यह राशि जिला स्तर से भुगतान कि जायेगी, जो निम्नलिखित है:–
  - Honorariun:- @ Rs. 1000/Day x 2days = Rs. 2000/batch
  - Lodging & Fooding: - @ Rs. Max. 1000/day x 2days = Rs. 2000/batch.
  - Travelling: - @ Rs. Max . 1000/day x 2days = Rs. 2000/batch.

Total – Rs. Max. 6000/Resource Person/batch.

जिला कार्यक्रम प्रबंधक की यह जबावदेही होगी कि Resource Person के Honorariun का भुगतान प्रशिक्षण समाप्ती के तत्काल कर दिया जाए एवं अन्य मद यथा Lodging & fooding एवं Travelling के लिए Bill/ Voucher Submit करने के उपरान्त ही Actul Amount का भुगतान किया जायेगा। यह दोनों प्रकार का भुगतान यदि एक साथ कर दिए जाते है तो प्रशिक्षको को कार्य करने में उत्साह बना रहता है। विदित हो कि एक Resource Person को एक प्रशिक्षण (दो दिवसीय) के लिए अधिकतम Ceilling Limit Rs. 6000 तक ही भुगतान किया जा सकता है। इस दिशा निदेश के साथ भुगतान का प्रपत्र संलग्न किया जा रहा हैं। Resource Person का सभी भुगतान कार्यशाला समाप्त होने के दुसरे दिन तक जिला स्तर से किया जाना आवश्यक है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं– तिथि के साथ उल्लेखित करें) पत्र संख्या– 24613 दिनांक:– 15.03.11, पत्र संख्या– 25601 दिनांक:– 25.04.11, पत्र संख्या– 31860 दिनांक:– 30.11.2011, पत्र संख्या– 32854 दिनांक:– 29.12.2011, पत्र संख्या– 981 दिनांक:– 03.01.2012, पत्र संख्या– 2107 दिनांक:– 05.03.2012, पत्र संख्या– 2621 दिनांक:– 26.03.2012, पत्र संख्या– 4418 दिनांक:– 23.05.2012, पत्र संख्या– 4619 दिनांक– 06.06.2012,

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम– श्री रंजीत समैयार
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नम्बर– 09470003025

SKumar